

माननीय सदस्यगण,

“वक्त सबको मिलता है, जिंदगी बदलने के लिए,
पर जिंदगी कभी दुबारा नहीं मिलती है, वक्त बदलने के लिए”

सप्तदश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 26 जुलाई, 2021 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 30 जुलाई, 2021 को समाप्त हो रहा है। इस सत्र में कुल-05 (पाँच) बैठकें हुईं।

सत्र के प्रथम दिन दिनांक 26 जुलाई, 2021 को सप्तदश बिहार विधान सभा के लोक जनशक्ति पार्टी के एक मात्र सदस्य श्री राजकुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-144 (मटिहानी) के भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अधीन जनता दल (यूनाइटेड) विधायक दल में विलय की मान्यता दिनांक 06 अप्रैल, 2021 से प्रदान किये जाने की सूचना से सदन को अवगत कराया गया। प्रभारी मंत्री, पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2021 की प्रति सदन पटल पर रखी गयी। सप्तदश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमोदित 13 (तेरह) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सदन पटल पर रखा गया एवं उसी दिन प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण को सदन में उपस्थापित किया गया। कुल-33 (तैनीस) जननायकों एवं कोरोना महामारी से राज्य तथा देश के कई लोग के साथ-साथ दूसरों की जिंदगी बचाने वाले बिहार के लगभग 115 (एक सौ पन्द्रह) चिकित्सकों एवं अनेकों कोरोना योद्धा के असमय काल कवलित हो जाने पर उनके प्रति शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गयी।

दिनांक 27 जुलाई, 2021 को सदन में पूर्व घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर आसन द्वारा विस्तार से संदेश दिया गया और यह अपेक्षा की गयी कि इस ऐतिहासिक सदन में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति कभी नहीं हो। साथ ही आसन द्वारा यह भी संदेश दिया गया कि हम सब संकल्प लें कि हम सभी बेहतर आचरण करेंगे कि आगे भविष्य में किसी और कृत्य से लज्जित न होना पड़े। इस विषय पर दिनांक 29 जुलाई, 2021 को सदन में सभी दलों के नेतागण द्वारा अपने विचार व्यक्त किए।

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को आसन द्वारा विश्व प्रकृति संरक्षण द्विवस पर सभी सदस्यों से अपनी प्राथमिकता एवं सामाजिक जिम्मेवारी को पूरी निष्ठा से निभाने तथा पर्यावरण संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया और साथ ही जाग पंचमी के शुभ अवसर पर शुभकामना दी गई।

दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद-151(2) के अनुसरण में बिहार सरकार का 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष 2018-19 का राजस्व प्रक्षेत्र एवं सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन जिसे बिहार विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, कि प्रति सदन पटल पर रखी गयी तथा प्रतिवेदनों को लोक लेखा एवं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

प्रभारी मंत्री वित्त विभाग द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के उपलब्धि प्रतिवेदन पुस्तिका की प्रति सदन पटल पर रखी गयी एवं उसी दिन वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित स्वास्थ्य विभाग के अनुदान की माँग पर बाद-विवाद हुआ तथा सरकार के उत्तर के बाद माँग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटीन (मुखबंध) के माध्यम से स्वीकृत हुई। तत्पश्चात् संबंधित विनियोग विधेयक भी स्वीकृत हुआ।

इस सत्र में निम्न राजकीय विधेयकों को स्वीकृति मिली :-

- 1) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2021.
- 2) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021.
- 3) बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
- 4) बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
- 5) बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021.
- 6) बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2021.
- 7) बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय विधेयक, 2021.
- 8) बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2021.

इस सत्र में कुल-822 प्रश्न प्राप्त हुए। इन 822 प्रश्नों में कुल-18 अल्पसूचित प्रश्न थे जिनमें 16 के उत्तर प्राप्त हुए, 608 तारांकित प्रश्न स्वीकृत हुए जिनमें 566 के उत्तर प्राप्त हुए। साथ ही 153 प्रश्न अतारांकित हुए, जिनमें 33 के उत्तर प्राप्त हुए।

इस सत्र में कुल-103 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 89 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 06 अमान्य हुए।

इस सत्र में कुल-122 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 121 स्वीकृत हुए एवं 01 अस्वीकृत हुए। कुल-65 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 61 स्वीकृत एवं 04 अस्वीकृत हुई।

इस सत्र में माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से अनेक जनहित के मामले उठाये गये एवं विभिन्न विभागों के प्रतिवेदन, नियमावली, अधिसूचना की प्रति तथा बिहार विधान सभा के समिति के प्रतिवेदन सदन पटल पर रखे गये।

सत्र के संचालन में सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, माननीय मंत्रीगण, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के आप सभी माननीय सदस्यों का मैं आभारी हूँ।

माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा, बिहार में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जनता के बहुमूल्य आशीष से हमें इस मंदिर का सेवक बनने का मौका मिला है। जनता की पैनी निगाहें हमारे कार्यों का सूक्ष्म विश्लेषण एवं मूल्यांकन करती हैं, इसलिए हमें अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए जन आकांक्षाओं पर खरा उतरना होगा। लोकतंत्र में सार्वजनिक एवं सार्थक विमर्श से ही जनता का भला होता है। आप सबों ने आपसी सहमति से सत्र के सुचारू संचालन के लिए जो सकारात्मक वातावरण तैयार किया एवं जिस तरह सहयोग किया उससे जनहित के कई मुद्दों पर सरकार और भी सजग हो सकी। मैं विशेष रूप से आप सबों को इसके लिए साधुवाद देता हूँ। सदन में आप सबों ने जिस निष्ठा, तत्परता, लग्न, जागरूकता और संवेदनशीलता से अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, इसके लिए आप सब बधाई

के पात्र हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सत्ता पक्ष हो या 'विपक्ष, दोनों तरफ के माननीय सदस्य बिहार विधान सभा के आगामी सत्रों में भी अपना सक्रिय और सकारात्मक भागीदारी प्रदान कर बिहार के जनमानस के कल्याण एवं हित के लिए काम करते रहेंगे और बिहार के विकास की गति को तीव्रता प्रदान करेंगे। हमसब कोरोना की तीसरी संभावित लहर के मद्देनजर सतर्क और सावधान रहकर कोरोना प्रोटोकोल का पालन करते हुए लोगों को इससे बचाव के लिए अधिक से अधिक टीकाकरण हेतु प्रेरित करें। आप सभी विधायकगण से मेरा आग्रह है कि अपने-अपने निर्वाचिन क्षेत्र में कोरोना फ्रंट लाईन वर्करों को भी आप इसके लिए प्रेरित करें।

“साथ रहते यूँ ही, वक्त गुजर जायेगा,
दूर होने के बाद, कौन किसे याद आयेगा,
जी लो ये पल, जब हम साथ हैं,
कल क्या पता, वक्त हमें कहाँ ले जायेगा ।”

ईश्वर की कृपा से यदि माहौल अनुकूल रहा, तब शताब्दी वर्ष के तय कार्यक्रम का प्रारंभ हम सब लोग मिल कर करेंगे, जिसमें सभी माननीय विधायकगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक योद्धा और बुद्धिजीवी भाग लेंगे तथा नये राष्ट्र के संकल्प को साकार करेंगे।

समाचार प्रेषण में पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही सफलता से ले जाने का कार्य किया, इस हेतु उन्हें भी मैं साधुवाद देता हूँ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित पुलिस बल के जवानों ने तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है इसके लिए वे सभी धन्यवाद के पात्र हैं।

और अंत में माननीय सदस्यगण,

आप सबों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित की जाती है।